भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2608
(19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा की धारा 27 के अंतर्गत शिकायतें

2608. श्री ए. के. पी. चिनराज:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को 2014 से अब तक पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की धारा 27 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के तहत प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी किया जाना दिनांक 09 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।